भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3546
08.08.2022 को उत्तर के लिए

ओरोविल का पुनर्विकास

3546. श्रीमती माला राय :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ओरोविल के पुनर्विकास के लिए कोई योजना है जिसके लिए पेड़ों को काटने की आवश्यकता होगी;
(ख) परियोजना की वर्तमान स्थिति के साथ काटे जाने वाले अनुमानित पेड़ों की संख्या कितनी है; और
(ग) उक्त परियोजना में अनिवार्य वनरोपण योजना का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) से (ग): भूमि राज्य सूची का विषय है और किसी भी प्रयोजन के लिए किसी विशेष भूखंड को आवंटित करने का निर्णय संबंधित राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। भारतीय वन अधिनियम, 1927 या प्रभावी अन्य राज्य विशिष्ट कानूनों के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार के प्राधिकारियों द्वारा वृक्षों की कटाई को भी विनियमित किया जाता है।

हालांकि, यदि वन भूमि का गैर-वानिकी प्रयोजनों के लिए उपयोग करने का प्रस्ताव है, तो राज्य सरकार द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के तहत केन्द्र सरकार का पूर्व-अनुमोदन लिया जाना अपेक्षित है। परिवेश पोर्टल पर उपलब्ध सूचना के अनुसार, केन्द्र सरकार को ओरोविल क्षेत्र के पुनर्विकास के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

इसके अलावा, तमिलनाडु सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, ओरोविल क्षेत्र न तो आरक्षित वन (आरएफ) है और न ही सरकारी भूमि है। यह एक निजी पट्टा भूमि है।

****